फाइल सं0 15(6)2020/एफएलआरएस/आरसीडी/एफएसएसएआई
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)
(विनियमात्मक अनुपालन प्रभाग)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली–110002

---

दिनांक 31 जुलाई, 2020

**विषय : लाइसेंस अथवा पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करने हेतु छूट की अवधि दिनांक 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाने के संबंध में**

कृपया एफ.एस.एस.ए.आई के समसंख्यक पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2020 और 18 जून, 2020 देखें।

2. स्थिति की आगे पुनरीक्षा करने के बाद उपर्युक्त आदेशों के तहत कवर होने वाले खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस/पंजीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई है। यह अवधि उन लाइसेंसों और पंजीकरणों के मामले में भी बढ़ाई गई है जो 1 अगस्त, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान समाप्त हो रहे हैं। ऐसे सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के खंड 2.1. 7(4) के अनुसार विलंब शुल्क दिए बिना 31 दिसंबर, 2020 तक आवेदन करने की अनुमति दी जाती है। उक्त आदेश इनके जारी होने की तिथि से लागू हैं, अतः ये भविष्यकालिक प्रभाव से लागू होते हैं। नवीकरण के आवेदनों के लिए पहले ही प्राप्त फीस की वापसी का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतरिम अवधि में एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस/पंजीकरण को वैध माना जाएगा।

4. इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के तहत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्न : यथोपरि

(डॉ. शोभित जैन)
कार्यकारी निदेशक (अनुपालन कार्यनीति)
ई–मेल : ed-office@fssai.gov.in

सेवा में

1. सभी खाद्य कारोबारी
2. सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और सभी केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी
3. प्रमुख (आईटी), एफ.एस.एस.ए.आई : इस आदेश को एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर डालने हेतु

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. प्रमुख (आरसीडी)
2. अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई के पीपीएस
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस. एस.ए.आई के निजी सचिव